

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग

क्र. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार

भोपाल, दिनांक 9.5.2017


प्रति,

श्री वाहिद अली,  
सहायक संचालक(वित्त)  
वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त),  
पाठ्य पुस्तक निगम,  
भोपाल ।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबद् ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 6.5.2017

संदर्भित आदेश द्वारा आपको पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल से स्थानांतरित कर सेवाएं आयुष विभाग को सौंपते हुये सहायक संचालक, संचालनालय, होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, भोपाल में पदस्थ किया गया है परन्तु आपके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको आज दिनांक 9.5.2017 अपरान्ह से एक पक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवदेन इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

  
(विजय कठान )

सचिव


म.प्र.शासन,वित्त विभाग

पृ. क्र. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार

भोपाल, दिनांक 9.5.2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, /सचिव मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग /आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल ।
3. महाप्रबंधक, पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल ।
4. संचालक, होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति भोपाल ।

  
सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग

क्र. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार

भोपाल, दिनांक 9.5.2017


प्रति,

श्री प्रदीप ओंकार,  
उप संचालक, (वित्त)  
संचालनालय,  
होम्योपेथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति  
भोपाल ।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बाबद् ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 6.5.2017

संदर्भित आदेश द्वारा आपको संचालनालय होम्योपेथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति भोपाल से स्थानांतरित कर सेवाएं खेल एवं युवक कल्याण विभाग को सौंपते हुये उप संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल में पदस्थ किया गया है परन्तु आपके द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको आज दिनांक 9.5.2017 अपराह्न से एक पक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिबन्धन इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

  
(विजय कठान )


सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पु. क्र. एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार

भोपाल, दिनांक 9.5.2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, /सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण /आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल ।
3. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल ।

  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग


मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभभवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 9.5.2017

क्र.एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6.5.2017 द्वारा श्री वाहिद अली, सहायक संचालक, वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त)पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल की सेवायें आयुष विभाग को सौंपते हुये सहायक संचालक, संचालनालय, होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, भोपाल में स्थानांतरित कर पदस्थ करने के फलस्वरूप, श्रीमती अंजू सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त)पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकजी)  
सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार

भोपाल, दिनांक 9.5.2017

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वित्त विभाग, भोपाल,
  - (2) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
  - (3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, म.प्र.शासन, स्कूलशिक्षा विभाग, भोपाल.
  - (4) निज सहायक, सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
  - (5) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
  - (6) आयुक्त / संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल
  - (7) महाप्रबंधक, पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल,
  - (8) श्रीमती अंजू सिंह, वरि.लेखाधिकारी, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल,
  - (9) गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग